

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी**  
पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 164 / 2025  
दायर दिनांक :- 30.06.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025 / 305  
निर्णय दिनांक :- 03.12.2025

1. किशनलाल पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी देवलीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. गुडी पत्नी दिनेश कुमार जाति विश्नोई निवासी देवलीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. बंशी पत्नी मिश्रीलाल जाति विश्नोई निवासी देवलीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. मुकेश कुमार पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी देवलीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
5. जेती पत्नी धीमाराम जाति विश्नोई निवासी देवलीनगर तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रार्थीगण

**बनाम**

1. उमेदसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. बाबूलाल पुत्र सुजानाराम जाति विश्नोई निवासी देवलीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. महिपाल पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी देवलीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. रूपकंवर पत्नी गुमानसिंह उर्फ हुकमसिंह जाति राजपूत नि. बगतावरनगर तहसील बाप
5. हीरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
6. हीरसिंह पुत्र आनंदसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
7. नेनसिंह पुत्र पनेसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
8. लाछकंवर पत्नी बागसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
9. सुआकंवर पुत्री पेनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
10. सांगसिंह पुत्र पेनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
11. सायरकंवर पुत्री पेनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
12. संतु कंवर पत्नी हीरसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
13. हवा कंवर पत्नी उदयसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
14. जसवंतसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
15. पदमसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
16. मानसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
17. संतोषकंवर पत्नी सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
18. सिमाकंवर पुत्री सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
19. अमानसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
20. ओमसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी

*Saty*

21. देवेन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
22. नेनकंवर पत्नी चैनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
23. पाबुदानसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
24. राणीदानसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
25. रावलसिंह भाटी पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
26. सवाईसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
27. पृथ्वीसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
28. माधोसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
29. मानसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तह. बाप जिला फलोदी
30. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

- उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 249 रकबा 6.9606 हैक्टेयर सरहद मौजा बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शातिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि पर अपनी-अपनी रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओ के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थीगण अपने-अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 90 दिनांक 09.12.2024 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 17.04.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीगण एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ़ कर सुनाया गया और पड़ौसी खातेदार उक्त पैमाईश से संतुष्ट नहीं हुए। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण जब उसी समय पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ौसी

Saha  
बाप (फलोदी)

खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 29 ने पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण की हद में खूटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि से बरसात के मौसम में काश्त करते हैं तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 249 रकबा 6.9606 हैक्टेयर भूमि की दिनांक 17.04.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 30 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 30 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 249 रकबा 6.9606 हैक्टेयर सरहद मौजा बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 17.04.2025 के अनुसार प्रार्थीगण की हद में प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 29 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 6.9606 हैक्टेयर सरहद मौजा बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 17.04.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 6.9606 हैक्टेयर सरहद मौजा बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 17.04.2025 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

*Signature*

कार्यकारी  
बाप (फलोदी)

### आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 249 रकबा 6.9606 हैक्टियर भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 17.04.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



*Satya*  
 (सत्य नारायण-I, R.A.S.)  
 सहायक कलक्टर एवं  
 बाप (फलोदी) उपखण्ड अधिकारी  
 बाप (फलोदी)